<u>अति महत्वपूर्ण</u>

<u>संख्या- 17/2025/ 183/सैतालीस-का-5-2025-(1812380)</u>

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

कार्मिक अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांक : 26 मई, 2025**

विषयः- समस्त राज्य कर्मचारियों (समूह 'क''ख''ग' एवं 'घ') की वार्षिक प्रविष्टियां ऑनलाइन लिखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदया / महोदय,

आप अवगत हैं कि शासनादेश संख्या-4/2025/05/सैतालीस-का-5-2024 दिनांक 17.01.2025 द्वारा आलोच्य वर्ष 2024-25 से समस्त राज्य कर्मचारियों (समूह 'क''ख''ग' एवं 'घ') की वार्षिक प्रविष्टियां ऑनलाइन दाखिल किये जाने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है। प्रकरण में शासनादेश संख्या-16/2025/172/सैतालीस-का-5-2025-(1788429) दिनांक 20.05.2025 द्वारा आलोच्य वर्ष 2024-25 से समस्त राज्य कर्मचारियों (समूह 'क''ख''ग' एवं 'घ') की वार्षिक प्रविष्टियां ऑनलाइन लिखे जाने हेतु वर्क फ्लो जनरेट करने की अंतिम तिथि 25.05.2025 निर्धारित की गयी थी।

2- शासन के उपरोक्त स्पष्ट आदेशों के उपरान्त भी मानव सम्पदा पोर्टल की दिनांक 26.05.2025 को की गयी समीक्षा में यह पाया गया कि पोर्टल पर दर्ज कुल 8,22,660 कार्मिकों में से मात्र 4,01,219 कार्मिकों का ही वर्क फ्लो जनरेट हुआ है। आप सहमत होंगे कि यह स्थिति संतोषप्रद नहीं है।

3- चूंकि समूह 'ग' एवं 'घ' को उक्त व्यवस्था में प्रथम बार सम्मिलित किया गया है अतः उक्त के दृष्टिगत आलोच्य वर्ष 2024-25 से समस्त राज्य कर्मचारियों (समूह 'क''ख''ग' एवं 'घ') की वार्षिक प्रविष्टियां ऑनलाइन लिखे जाने हेतु वर्क फ्लो जनरेट करने की तिथि 28.05.2025 तक बढाए जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रकरण को शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करते हुए अपने विभाग/विभागान्तर्गत कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों का वर्क फ्लो निर्धारित समयावधि में जरनेट कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को, मा0 मंत्रिगण के सूचनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
5. प्रमुख सचिव विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
7. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
8. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. श्री ए०के० रावत, वरिष्ठ निदेशक(आई०टी०), एन०आई०सी०, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. ई०एम०डी० मैनेजर सचिवालय प्रशासन विभाग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्देश को ई-ऑफिस डैश बोर्ड पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।